

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-09062021-227429
SG-DL-E-09062021-227429

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 156]	दिल्ली, मंगलवार, जून 8, 2021/ज्येष्ठ 18, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 43
No. 156]	DELHI, TUESDAY, JUNE 8, 2021/JYAISHTHA 18, 1943	[N. C. T. D. No. 43

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना
दिल्ली, 8 जून, 2021

सं.फा.1/11/2010-न्यायिक/511-513—सार्वजनिक सूचना के लिए एतद्वारा निम्नलिखित रूप में प्रकाशित किया जाता है: —

दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम 2002 के द्वारा संशोधित विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के नियम 8ए में अन्तर्विष्ट उपबंधों का अनुसरण करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति अधिनियम, 1998 के अधिनियम 3(3) के साथ पढ़ते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश/मुख्यसंरक्षक, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण अपने दिनांक 25.08.2020 के आदेश में सहर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवाएं समिति के मौजूदा दो सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और दो और नए सदस्यों को दिनांक 25.09.2020 से नामित किया है।

क्रम सं.	नामित सदस्य का नाम	वर्ग / अधिनियम जिसके अंतर्गत नियुक्त किया गया है।
1	श्री अशोक कुमार, कार्यकारी निदेशक, डा. ए. वी. बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट	अधिनियम के वर्ग 3 (ए) के अंतर्गत
2	सुश्री रेबिका एम. जान, वरिष्ठ अधिवक्ता	अधिनियम के वर्ग 3 (बी) के अंतर्गत
3	डा. राकेश चड्ढा, एम्स, नई दिल्ली के मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख	अधिनियम के वर्ग 3 (सी) के अंतर्गत
4	प्रो. (डा.) जी. एस. बाजपेयी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	अधिनियम के वर्ग 3 (डी) के अंतर्गत

हस्ताक्षरित

कंवल जीत अरोड़ा (सदस्य सचिव)

माननीय मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय
एवं प्रधान संरक्षक, डी.एस.एल.एस.ए. के आदेश से,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय तथा विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 8th June, 2021

No. F.1/11/2010-JudL/511-513.—The following is hereby published for general information of the Public:—

In pursuance to the provisions contained in section 8A of Legal Services Authorities Act, 1987, as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 2002 read with Regulations 3 (3) of High Court Legal Service Committee, Regulations 1998, the Hon'ble Chief Justice, High Court of Delhi/Patron-in-Chief, DSLSA vide his Lordship's orders dated 25.08.2020 has been pleased to extend the term of existing 2 members and also nominate two new members for another one year w.e.f. 25.09.2020 in respect of Delhi High Court Legal Services Committee.

S. No.	Name of Nominated Member	Category/Regulation under which appointed
1.	Mr. Ashok Kumar, Executive Director, Dr. A. V. Baliga Memorial Trust	Under Category 3 (a) of the Regulations.
2.	Ms. Rebecca M. John, Senior Advocate	Under Category 3 (b) of the Regulations.
3.	Dr. Rakesh Chadda, Head of Department of Psychiatry, AIIMS, New Delhi	Under Category 3 (c) of the Regulations.
4.	Prof. (Dr.) G.S. Bajpai, Registrar, National Law University, Delhi	Under Category 3 (d) of the Regulations.

-Sd-

KANWAL JEET ARORA (Member Secy.)

By Order of the hon'ble chief justice,
High court of delhi & patron-in-chief, dslsa

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Pr. Secy (Law, Justice & L.A)